FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (पाली)

महाराम बनाम सुन्दरी कँवर

किस्म मुकदमा – राजस्व वाद नं. 18 / सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23/6/21	वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण उपस्थित । वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध गै0सा0 अन्तर्गत धारा 212 RT Act के तहत पेश किया हैं। राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। गै0सा0 को जरिये नोटिसेज तलब किये जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 29/7/21 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)	136 / 25/6/21
29/7/21	वकील उप0। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की ओर से वकील रामस्वरूप चौधरी ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता ने सहमति जाहिर की कि हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी का मूल वाद के निस्तारण तक हक रहन, बेचान, हस्तान्तरण नहीं करेंगे व वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करेंगे। सहमति के उभयपक्ष अधिवक्ता ने अपने अपने हस्ताक्षर आदेशिका पर किये। उक्त पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। उभय पक्ष अधिवक्ता की दलीलों पर [illegible]। वास्तुतः मूल वाद घोषणा, [illegible] कार्य से विचाराधीन है। वर्तमान में तहसील कोई रिकार्ड से भू-अभिलेख का आलोकित कार्य हुआ है। जिसके खिलाफ	[signatures]

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:40:05 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	होने से उभयपक्ष अधिवक्ता के निहायत प्रभाव की है।
	अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध उभयपक्ष करार इस आशय की जारी की जाती है कि तहसील मौजा कागलिया स्थित में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 583, 710, 714, कुल रकबा 8.0857 हैक्टर दर्ज हुई है बाबत आराजी का रहन, बेचान, हस्तान्तरण नहीं करेंगे व वर्तमान भू. अभिलेख में परिवर्तन नहीं करेंगे हेतु उभयपक्ष करार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के निर्णय तक रोका जाकर जावेगा मिसल जाता है। पत्रावली कौनल रजिस्टर दर्ज बाद ... से बाद तामील जाकर दाखिल दफ्तर रिकार्ड हो।
	ए.डी.जे.

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:40:05 IST
Reason: SelfAttested